न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 55/अपील/2023 (GCMS No. 2023/206)	03.10.2023	31.12.2024

श्री अंकित श्रृंगी आ. कृष्णबिहारी श्रृंगी जाति ब्राहमण,
निवासी ग्राम लीलेडा व्यासान, तहसील तालेडा, (जिला बून्दी)

— अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती महिमा साहू पत्नी निखिल जाति तेली, प्रबंधक, निकिता स्वयं सहायता समूह, लीलेड़ा व्यासान, तहसील तालेडा (जिला बून्दी)
2. श्रीमती रेखा पुत्री शंभूलाल जाति तेली, अध्यक्ष, निकिता स्वयं सहायता समूह, लीलेड़ा व्यासान, तहसील तालेडा (जिला बून्दी)
3. जिला रसद अधिकारी, बून्दी

— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 15(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015

उपस्थितः–

1. अपीलांट की ओर से श्री वहीद अहमद शेख, एडवोकेट।
2. रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2 की श्री हरीश कपूर, एडवोकेट।
3. रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से पेरोकार सरकार (रसद)।

:: निर्णय ::

अपीलांट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी, बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2023 से व्यथित होकर अन्तर्गत धारा 15(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 इस न्यायालय में संस्थित की है। अपीलाधीन आदेश द्वारा निकिता स्वयं सहायता समूह लीलेडा व्यासान को ग्राम पंचायत लीलेडा व्यासान उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु प्राधिकार पत्र जारी किया गया।

जिला कलक्टर; बून्दी

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 55/2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2023/206 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए व्यक्त किया कि जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा विज्ञप्ति जारी कर ग्राम लीलेडा व्यासान में उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु आवेदन मांगे गये थे। लीलेडा व्यासान में रिक्त उचित मूल्य दुकान के लिए अपीलांट के अलावा रेस्पोडेन्ट निकिता स्वयं सहायता समूह लीलेडा व्यासान, रोहित कुमार गोचर, चौथमाता सेवा सोसायटी लीलेडा व्यासान एवं जीप/टेक्सी चालक समिति, तालेडा द्वारा आवेदन किये थे। अपीलांट द्वारा दिनांक 01.02.2023 को आवेदन करके विज्ञप्ति में मांगे गये समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर उसे उचित मूल्य दुकान के लिए प्राधिकार पत्र देने का निवेदन किया था। अपीलांट अधिक योग्य व अनुभवी होने के उपरांत भी अपीलांट के स्थान जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा दिनांक 28.07.2023 को आदेश पारित कर रेस्पो.सं.1 व 2 प्रबंधक/अध्यक्ष, निकिता स्वयं सहायता समूह लीलेडा व्यासान के पक्ष में ग्राम पंचायत लीलेडा व्यासान उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु प्राधिकार पत्र संख्या 1668/2023 जारी कर दिया गया, जो निरस्त होने योग्य है, क्योकि निकिता स्वयं सहायता समूह लीलेडा व्यासान, सरपंच लीलेडा व्यासान द्वारा बनायी गयी समिति है, साथ ही चयन समिति में सदस्यगण भी सरपंच के परिचित एवं पारिवारिक सदस्य है, जिनके द्वारा गलत रूप से उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार जारी किया गया। इस प्रकार प्राधिकार पत्र चयन समिति द्वारा राजनैतिक प्रभाव में आकर रेस्पो.सं. 1 व 2 के पक्ष में गलत रूप से चयन किया गया तथा जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा कानूनी प्रकिया की पालना किये बिना प्राधिकार पत्र जारी किया है, जो निरस्त होने योग्य है। लीलेडा व्यासान में उचित मूल्य वितरण का कार्य पूर्व में रामप्रसाद नागर ग्राम पंचायत ठीकरिया चारणान के द्वारा उसके दुकान अटेच करने से किया जा रहा था। अपीलांट को उचित मूल्य सामग्री वितरण का 7 वर्ष का अनुभव है तथा अपीलांट की दुकान व गोदाम की लोकेशन रेस्पो.सं.1व 2 की दुकान व गोदाम से सुगम स्थान पर है। इसके उपरांत भी जिला रसद अधिकारी बून्दी अपीलांट के स्थान पर रेस्पो.सं.1 व 2 के पक्ष में दिनांक 28.07.2023 को प्राधिकार पत्र जारी कर दिया गया, जो निरस्त होने योग्य है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.23 निरस्त फरमाया जाकर ग्राम पंचायत लीलेडा व्यासान में उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु अपीलांट के पक्ष में प्राधिकार पत्र जारी करने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं.1 व 2 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), बून्दी के पत्र दिनांक 01.02.2023 से विज्ञप्ति जारी कर विभिन्न कारणों से रिक्त 19 उचित मूल्य दुकानों के लिए दिनांक 01.02.23 से 27.02.2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये। इनमें उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत लीलेडा व्यासान भी सम्मिलित थी। इस अनारक्षित दुकान के लिए 05 आवेदन पत्र प्राप्त हुये, जिसके साक्षात्कार दिनांक 20.07.23 को आयोजित किये गये। सभी आवेदन पत्रों को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखा गया। विभागीय दिशा निर्देश दिनांक 17.03.2016 के बिन्दू सख्या 4(क)(ग) के अनुसार महिला स्वयं सहायता समूह को वरीयता दी गई है। दिशा निर्देश के बिन्दू संख्या 1(ग) में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक रखी गई है। दिशा निर्देश के बिन्दू संख्या 4(घ) अनुसार चयन राज्य सरकार द्वारा गठित आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बहुमत के आधार पर किया जायेगा। अपीलांट श्री अंकित श्रृंगी आ.कृष्णबिहारी श्रृंगी की शैक्षणिक योग्यता कक्षा–12 वीं होने से शैक्षणिक रूप से अयोग्य पाया गया। मै0 निकिता स्वयं सहायता समूह सहायक निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पंजीकृत कार्यशील समूह है एवं अमृता सोसाईटी में पंजीकृत है। समूह प्रबंधक श्रीमती महिमा साहू स्नातक उत्तीर्ण है। विभागीय दिशा निर्देशानुसार बिन्दू संख्या 4(क)(ग) के अनुसार मै0 निकिता स्वयं सहायता समूह लीलेडा व्यासान को प्राथमिकता दी गई तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा बहुमत से चयन की अनुशंषा की गई। इस प्रकार मै0 निकिता स्वयं सहायता समूह लीलेडा व्यासान को प्रथम वरीयता प्राप्त होने के आधार पर जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया। जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

पेरोकार सरकार (रसद) ने बहस के दौरान अपने तर्क प्रस्तुत किये कि रसद विभाग, बून्दी द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 01.02.2023 से जिले की रिक्त 19 उचित मूल्य दुकानों के लिए दिनांक 01.02.23 से 27.02.23 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। साक्षात्कार दिनांक 20.07.23 को ग्राम पंचायत लीलेडा व्यासान उचित मूल्य दुकान के लिए प्राप्त सभी 5 आवेदन पत्रों को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखा गया। अपीलांट की शैक्षणिक योग्यता कक्षा–12 वीं होने से शैक्षणिक रूप से अयोग्य पाया गया, जबकि विभागीय दिशा निर्देशानुसार मै.निकिता स्वयं सहायता समूह लीलेडा व्यासान को योग्य पाये जाने से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा बहुमत से चयन की अनुशंषा की गई। मै. निकिता स्वयं सहायता समूह लीलेडा व्यासान को प्रथम वरीयता प्राप्त होने के आधार पर जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया, जो उचित है। अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। जिससे प्रकट है कि कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), बून्दी के पत्र दिनांक 01.02.2023 से जारी विज्ञप्ति अनुसार उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत लीलेडा व्यासान के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। बाद जांच आवेदनपत्र एवं साक्षात्कार दिनांक 20.07.23 से उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत लीलेडा व्यासान के संचालन हेतु मै0 निकिता स्वयं सहायता, समूह लीलेडा व्यासान को प्रथम वरीयता प्राप्त होने से जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा प्राधिकार पत्र संख्या 1168/2023 जारी किया गया। जिस पर अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रकट की गई है जबकि रेस्पो.सं. 1 व 2 द्वारा उक्त प्रक्रिया को कानून सम्मत होना बताया गया।

इस संबंध में जिला रसद अधिकारी बून्दी से प्राप्त पत्रावली के संलग्न खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्र कमांक एफ. 17(2)खा.वि./न्याय/आ.स.समि विवाद/2023 दिनांक 24.05.2023 मय उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु दिशा-निर्देश दिनांक 17.03.2016 का अवलोकन किया गया। साक्षात्कार दिनांक 20.07.2023 परिणाम पत्र (पृष्ठ संख्या 44) के अवलोकन से प्रकट है कि अभ्यर्थी कम सं.4. अंकित श्रृंगी/कृष्णबिहारी,लीलेडा व्यासान की शैक्षणिक योग्यता 12 वीं होना तथा शैक्षणिक अपात्र होना अंकित है, जबकि निकिता स्वयं सहायता समूह लीलेडा व्यासान की शैक्षणिक योग्यता बी0ए0 तथा प्रथम वरीयता प्राप्त होना अंकित है। विभागीय दिशा-निर्देश दिनांक 17.03.16 के बिन्दू सं. 4(क)(ii) अनुसार महिला स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता दी गई है। इस कम में समिति सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से कम संख्या 3 पर अंकित निकिता स्वयं सहायता समूह के चयन की अनुशंषा की गई। फलस्वरूप जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा आदेश दिनांक 28.07.2023 जारी कर मै0 निकिता स्वयं सहायता समूह लीलेडा व्यासान को उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत लीलेडा व्यासान का संचालन कर समस्त नियंत्रित वस्तुओं के वितरण के लिए स्वीकृति जारी की गई।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट के अधिक योग्य होने के उपरान्त या किसी प्रकार के राजनैतिक प्रभाव के कारण चयन समिति द्वारा अपीलांट का चयन नहीं किये जाने का आरोप निराधार पाया गया है। उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत लीलेडा व्यासान के संचालन हेतु मै0 निकिता स्वयं सहायता, समूह लीलेडा व्यासान को प्रथम वरीयता प्राप्त होने से जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा प्राधिकार पत्र संख्या 1168/2023 जारी किये जाने में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही पायी गयी है। ऐसे में अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 31.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर, बून्दी